न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अरांई (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी श्रीमति निशा सहारण (आर.ए.एस.)

:: राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 53/2023 उनवान अजय बनाम मुकेश ::

अजय कुमार पुत्र श्री विनोद कुमार जाति ब्राह्मण आयु 41 साल निवासी ग्राम अरांई तहसील अरांई जिला अजमेर राज.। --प्रार्थी

बनाम

1. मुकेश कुमार पुत्र रामकिशोर तेली
2. राधाकिशन पुत्र छीतर जाति खाती
3. कल्याण पुत्र गोकुल जाति गुर्जर
4. मीठू पुत्र गौकुल जाति गुर्जर
5. आशा पुत्री गौकुल जाति गुर्जर
6. सम्पत पुत्र गौकुल जाति गुर्जर
7. देवकरण दत्तक पुत्र आम्बा गुर्जर
8. नाथी देवी पत्नी काना उर्फ कन्हैयालाल जाति गुर्जर
9. मदनगोपाल पुत्र काना उर्फ कन्हैयालाल जाति गुर्जर
10. ममता पुत्री काना उर्फ कन्हैयालाल जाति गुर्जर
11. सजना पुत्री काना उर्फ कन्हैयालाल जाति गुर्जर
12. सुरता पुत्री काना उर्फ कन्हैयालाल जाति गुर्जर
13. रामकरण पुत्र बख्तावर जाति गुर्जर

    सर्व निवासी ग्राम अरांई तहसील अरांई जिला अजमेर राज.।
14. महेन्द्र कुमार पुत्र कन्हैयालाल जाति जाट निवासी ग्राम तिहारी उपतहसील श्रीनगर तहसील नसीराबाद जिला अजमेर राज.।
15. रामेश्वर पुत्र हुक्माराम जाति जाट निवासी ग्राम मुण्डोती तहसील अरांई जिला अजमेर राज0।
16. रामेश्वरलाल चौधरी पुत्र हुक्माराम जाति जाट निवासी ग्राम मुण्डोती तहसील अरांई जिला अजमेर राज0।
17. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार अरांई,तहसील अरांई जिला अजमेर राज।

—अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 28.07.2024

1. संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की और से एक प्रार्थना पत्र अधिवक्ता श्री भागीरथ चौधरी ने अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया गया जो बाद जांच रिपोर्ट दिनांक 18.08.2023 को दर्ज रजिस्टर क्रमांक 53/2023 पर दर्ज किया गया तथा अप्रार्थीगणों की जरिये नोटिस तलबी की गई। प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री भागीरथ चौधरी ने जाहिर किया कि प्रार्थीगण की कब्जे काश्त व आधिपत्य की भूमि ग्राम अरांई तहसील अरांई जिला अजमेर में स्थित है जिसके वर्तमान खसरा संख्या 1669 रकबा 0.6391 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1664 रकबा 0.5259 हैक्टैयर, खसरा संख्या 1665 रकबा 0.5259 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 1666 रकबा 0.3236 हैक्टैयर स्थित है जिस पर प्रार्थीगण वर्तमान में नक्शेनुसार व राजस्व रिकार्ड के अनुसार काबिज काश्त है। यह है कि प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 02 में वर्णित खातेदारी की भूमि के चारो दिशाओं में अप्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 3546/1658, 3545/1658, 1661, 1656, 1667 एवं 1668 स्थित है। जिस पर नक्शा ट्रेस में काबिज अनुसार तरमीम हो रखी है।। यह है कि प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 01 में वर्णित अपनी खातेदारी की कृषि भूमि का सीमाज्ञान करवाने के लिये प्रार्थना पत्र तहसीलदार अरांई को सीमाज्ञान बाबत दिया था जिसके अनुक्रम में पटवार हल्का द्वारा 14.06.2023 को सीमाज्ञान कर मौका पर्चा तैयार किया गया था। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि पर कृषि भूमि पर कृषि कार्य कर रहें हैं किन्तु अप्रार्थीगण आये दिन सींव मेड सीमा को लेकर विवाद करते रहते हैं एवं अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 16 एवं परिवारजन द्वारा प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि की सींव उखाडने पर आमादा हो जाते हैं तथा प्रार्थी की आराजी पर ब्लात अतिचार, अतिक्रमण करने पर आमादा है। जिससे प्रार्थी काफी परेशान है। जिससे की प्रार्थीगण की उपरोक्त भूमि पर पत्थरगढी करवाना अतिआवश्यक है इसीलिये यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष सदभावनापूर्वक पेश किया जा रहा है । अप्रार्थीगण द्वारा अवैध रूप से मेड सींव का विवाद करते है जिसके निवारण हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी की श्रीमान न्यायाधीश से यह प्रार्थना है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि ग्राम खसरा संख्या 1669 रकबा 0.6391 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1664 रकबा 0.5259 हैक्टैयर, खसरा संख्या 1665 रकबा 0.5259 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 1666 रकबा 0.3236 हैक्टैयर का जमाबन्दी व राजस्व ट्रेस के अनुसार चतुर्थ सीमा पर पत्थरगढी करने के प्रार्थीगण के पक्ष में आदेश प्रदान कराने की कृपा करावें।

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

दिनांक 29.09.2023 को पत्रावली बाद तलबी पेश हुई। अप्रार्थी संख्या 01 से 17 के तामिल शुदा नोटिस प्राप्त हुऐ लेकिन उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुये। दिनांक 28.03.2024 को अप्रार्थी संख्या 01 से 17 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई तथा वकील प्रार्थी की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई जिसमें उनके द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया गया।

3. हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई और प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। अतः उपरोक्त विवेचन व संलग्न दस्तावेजानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि ग्राम अरांई तहसील अरांई मे स्थित भूमि खसरा संख्या 1659 रकबा 0.6391 हैक्टैयर, खसरा संख्या 1664 रकबा 0.5259 हैक्टैयर, खसरा संख्या 1665 रकबा 0.5259 हैक्टैयर, खसरा संख्या 1666 रकबा 0.3236 हैक्टैयर भूमि का राजस्व रिकार्ड अनुसार मौके पर नाप चौक कर पत्थरगढी करने हेतु तहसीलदार अरांई को कमिश्नर फीस 1500/—रु अक्षरे एक हजार पांच सौ मात्र, पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण द्वारा कमिश्नर फीस 1500/— रु जमा करवाने पर वे स्वयं मौके पर उपस्थित रहकर तथा पर्याप्त पुलिस जाप्ता व संसाधन लेकर उक्त वाद ग्रस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड के अनुसार पक्षकारान की उपस्थिति में नाप चौक कर पत्थरगढी करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 28/03/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)